भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1696
(जिसका उत्तर सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है)

"मंडियों में गेहूं और चावल की बिक्री पर जीएसटी"

†1696. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की राष्ट्रीय समिति ने मंडियों में गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों की बिक्री पर जीएसटी लगाने की अनुशंसा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि खाद्यान्नों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल करने की अनुशंसा के विरुद्ध व्यापक विरोध शुरू हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का इस अनुशंसा का विरोध करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जीएसटी परिषद ने दिनांक 28 जून, 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित अपनी 47वीं बैठक में सिफारिश है कि ब्रांड नाम वाले कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने की बजाय "प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली/लगी हुई" वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए। दरों के युक्तिकरण और कर की चोरी को रोकने के उपाय के रूप में त्रिस्तरीय में ऐसी प्रक्रिया के पश्चात किया गया था जिसमें सदस्य राज्यों के अधिकारियों की फिटमेंट समिति, इसके बाद परिषद द्वारा गठित दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) शामिल थे, और अंत में जीएसटी परिषद द्वारा सिफारिश की गई थी। हालांकि, जब ऐसी वस्तुओं को खुले रूप में (प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली/लगी हुई वस्तुओं के अलावा) या 25 किग्रा से अधिक मात्रा के बड़े पैकेट में बेचा जाता है तो ऐसी वस्तुओं को बेचने पर जीएसटी से छूट मिलती रहेगी। सिफारिश को केंद्र और राज्यों द्वारा लागू किया गया था।

(ख): संबंधित प्री-पैकेज्ड और लेबल लगी हुई वस्तुओं पर उल्लिखित जीएसटी की लेवी पर पुनर्विचार किए जाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) तथा (घ): जीएसटी की दरों और छूट को जीएसटी परिषद, जो कि एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में, इस संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा कोई भी अनुशंसा नहीं की गई है, जिसे लागू किया जाना बाकी है।

*****